[2022] 4 एस. सी. आर 773

ए.

स्वतंत्र विद्यालय संघ चंडीगढ़ (आर. ई. जी. डी.) और ओ. आर. एस. बनाम

भारत और ओआरएस का संघ। (दीवानी अपील सं.3877/2022) 11 मई, 2022

[ए. एम. खानविलकर, अभय एस. ओका और जे. बी. पारदीवाला, जे. जे.]

पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 -धारा 87-चंडीगढ़-पंजाब (गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों के शुल्क का विनियमन) अधिनियम, 2016-2016 अधिनियम को लागू करने की शक्ति को उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी विवादित अधिसूचना के माध्यम से बढ़ा दिया गया। 87 – आक्षेपित अधिसूचना-उच्च न्यायालय द्वारा खारिज लिखित याचिका-उच्चतम न्यायालय के समक्ष चुनौती अनुच्छेद 6 के माध्यम से आक्षेपित आदेश/अधिसूचना के संदर्भ में अंतःस्थापित परंतुक के खंड (ए) और (बी) के लिए है; अनुच्छेद 8 की वैधता पर भी सवाल उठाया गया-आयोजितःलछमी नारायण बनाम भारत संघ मामले में उच्चतम न्यायालय के स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए पूरे मुद्दे पर निर्णय लेने की आवश्यकता है, जिसमें 'प्रतिबंध या संशोधन' की अभिव्यक्ति धाराओं में होती है।87 व्याख्या की गई है-तदनुसार, खंड (ए) में निर्दिष्ट शर्त को परिधीय और असंगत परिवर्तन के रूप में नहीं माना जा सकता है-क्योंकि, यह एक ठोस मामला है क्योंकि विवादित सरकारी आदेश/अधिसूचना के संदर्भ में विस्तारित प्रधान अधिनियम (2016 अधिनियम), गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों की वेबसाइट पर आय, व्यय, लेखा और बैलेंस शीट के प्रकटीकरण के संबंध में कोई प्रावधान नहीं करता है, जिसमें पंजाब राज्य में लागू होने वाला भी शामिल है-इसलिए, अनुच्छेद 6 के माध्यम से जोड़े गए तीसरे परंतुक में खंड (ए) के संदर्भ में विवादित सरकारी आदेश/अधिसूचना द्वारा पेश किया गया परिवर्तन एस के संदर्भ में सक्षम प्राधिकारी को दिए गए प्राधिकरण के दायरे से बाहर है। 87, 1966 अधिनियम-इसलिए उस शर्त को अधिकार से बाहर होने के कारण रद्द करने की आवश्यकता है-इसके अलावा, विवादित सरकारी आदेश/अधिसूचना के पैराग्राफ 8 को भी असंवैधानिक और अधिकार से बाहर होने के कारण रद्द करने की आवश्यकता है-हालांकि, खंड (बी) में शर्त केवल गैर-सहायता प्राप्त संस्थानों को माता-पिता से किसी भी प्रकार की लागत वसूलने से रोकती है-यह विधायी इरादे के अनुरूप है।

जी.

एच.

773 ए.

774 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 4 एस. सी. आर.

और 2016 अधिनियम का अधिदेश, वास्तव में, यह 2016 अधिनियम की अंतर्निहित नीति, सार और सार को दोहराता है-इस प्रकार, यह किसी भी तरह से एक महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं है-खंड (बी) को चुनौती खारिज कर दी गई।

शब्द और वाक्यांश-एस में होने वाले 'प्रतिबंध या संशोधन'।87, 1966 अधिनियम-पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की व्याख्या-चर्चा -एस. 87.

लछमी नारायण बनाम भारत संघ **(1976) 2** एस**.** सी**.** सी**. 953:**

[1976] 2 एससीआर **785-**पर निर्भर।मामला कानून संदर्भ

[1976] 2 एससीआर **785**

उस पर भरोसा करें

पैरा **8**

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2022 की सिविल अपील संख्या 3877।

2020 (ओ एंड एम) की सिविल रिट याचिका संख्या 7706 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांक 28.05.2021 के निर्णय और आदेश से।

के साथ

2022 की सिविल अपील संख्या 3878

अवि सिंह, मनोहर प्रताप, करण ढल्ला, अजीत कुमार एक्का, अधिवक्ता।अपीलार्थीगण के लिए।

के. एम. नटराज, जयंत के. सूद, सुश्री ऐश्वर्या भाटी, ए. एस. जी., सुश्री स्वरूपमा चतुर्वेदी, ऋत्विज ऋषभ, हरीश पांडे, राघवेंद्र एस. श्रीवास्तव, अरविंद कुमार शर्मा, एस. के.

सिंघानिया, भुवन मिश्रा, वरुण चुघ, सुश्री स्वाति घिल्डियाल, कार्तिक जसरा, रणदीप सचदेवा, सुश्री रुचि कोहली, अदित खुराना, सुश्री दीपा दत्ता, सुश्री श्रेया जैन, एस. रुस्तम सिंह चौहान, सुश्री दीपावली दत्ता, सुश्री प्रीति रानी, गुरमीत सिंह मक्कर, चंद्र प्रकाश, राजीव भल्ला, सुमीर अनुजा, जय सूर्य जैन, यजुर भ।प्रत्यर्थीगणओं के लिए।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश पारित किया गया थाः

जी.

ओ आर डी ई आर

1.अनुमति प्रदान की गई।

2. ये अपीलें चंडीगढ़ ए में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पारित 28.05.2021 के फैसले और आदेश पर आपत्ति उठाती हैं।

एच.

775

स्वतंत्र विद्यालयों का समाज

चंडीगढ़ (आर. ई. जी. डी.) और ओ. आर. एस. बनामभारत और ओआरएस का संघ।

सिविल रिट याचिका Nos.7706/2020 (O & M) और 7761/2020 (O & M) में क्रमशः।

3. अपीलार्थीगण ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिकाओं के माध्यम से पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 87 (संक्षेप में, '1966 अधिनियम') के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी अधिसूचना पर हमला किया था।
4. उच्च न्यायालय ने उक्त रिट याचिकाओं को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि उपयुक्त प्राधिकारी इस तरह के सरकारी आदेश/अधिसूचना जारी करने के लिए सक्षम था।

5. इस न्यायालय के समक्ष, सीमित चुनौती परंतुक के खंड (ए) और (बी) के लिए है, जिन्हें अनुच्छेद 6 के माध्यम से विवादित आदेश/अधिसूचना के संदर्भ में जोड़ा गया है।विवादित आदेश/अधिसूचना का अनुच्छेद 6 इस प्रकार हैः

“6. धारा 5 में, इस परंतुक के बाद जोड़ा जाएगा, अर्थात्:- “बशर्ते कि प्रत्येक गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान-(क) अपनी वेबसाइट पर आय, व्यय खाता और बैलेंस शीट अपलोड करेगा।

(ख) माता-पिता से किसी भी प्रकार का खर्च न लें;

(ग) विद्यालयों द्वारा प्रवेश प्रपत्र के साथ जारी पुस्तिका में शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत में पूर्ण निःशुल्क संरचना का खुलासा करें और इसकी वेबसाइट पर भी पोस्ट करें;

(घ) शैक्षणिक सत्र के दौरान किसी भी समय शुल्क में वृद्धि न करें।” (जोर दिया गया)
6.इसके अलावा, अपीलार्थीगण ने विवादित आदेश/अधिसूचना के पैराग्राफ 8 की वैधता पर सवाल उठाया है, जो इस प्रकार है:“8. धारा 14 में --

(क) उप-धारा (1) में "तीस हजार रुपये", "पचास हजार रुपये" और "एक लाख रुपये" शब्दों के स्थान पर क्रमशः "साठ हजार रुपये", "एक लाख रुपये" और "दो लाख रुपये" शब्द रखे जाएँगे।

जी.

(ख) उप-धारा (2) में "साठ हजार रुपये", "एक लाख रुपये", शब्दों के लिए "एक लाख बीस हजार"

एच.

ए.

रुपये, "दो लाख रुपये" और "चार लाख रुपये" क्रमशः प्रतिस्थापित किए जाएंगे।”

7. हमने पक्षों के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुना है।

8. इस पूरे मुद्दे को ध्यान में रखते हुए इसका जवाब दिया जाना चाहिए।

'लछमी नारायण बनाम भारत संघ' में इस न्यायालय का विवरण

1976 में (2) एस. सी. सी. 953। 9.इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ को 1966 के अधिनियम की धारा 87 के समान प्रावधान पर विचार करने का अवसर मिला है। द.

धारा 87 1 में होने वाली अभिव्यक्ति 'प्रतिबंध या संशोधन' है

इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित शब्दों में व्याख्या की गई:“61. .....इस तरह के व्यापक निर्माण को छोड़ दिया जाना चाहिए ताकि धारा की वैधता अत्यधिक प्रत्यायोजन के कारण कमजोर हो जाए।इसके अलावा, इस तरह का निर्माण समग्र रूप से पढ़ी जाने वाली धारा के संदर्भ और विषय-वस्तु और शक्ति के प्रयोग से जुड़ी वैधानिक सीमाओं और शर्तों के प्रतिकूल होगा।इसलिए, हमें ऐसे चरित्र के परिवर्तनों के लिए "प्रतिबंधों और संशोधनों" शब्दों के दायरे को सीमित करना चाहिए जो अधिनियमन की अंतर्निहित नीति, सार और सार को विस्तारित, अक्षुण्ण रखते हैं, और केवल ऐसे परिधीय या असंगत परिवर्तनों को पेश करते हैं जो इसे केंद्र शासित प्रदेश की स्थानीय स्थितियों के अनुकूल बनाने और समायोजित करने के लिए उपयुक्त और आवश्यक हैं।”

(जोर दिया गया) 10.वर्तमान अपीलों में चुनौती का निर्णय इस निर्णय में बताए गए सिद्धांतों के आधार पर किया जाना आवश्यक है।

11. सवाल यह है:क्या विवादित सरकारी आदेश/अधिसूचना दिनांक 1 के अनुच्छेद 6 के संदर्भ में अंत:स्थापित तीसरे परंतुक के खंड (ए) को पंजाब (गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों के शुल्क के विनियम) अधिनियम, 2016 (संक्षेप में, '2016 अधिनियम') के प्रावधानों में परिधीय या असंगत परिवर्तन माना जा सकता है, जो

जी.

1 पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 87:87. चंडीगढ़ तक अधिनियमों का विस्तार करने की शक्ति।केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस तरह के प्रतिबंधों या संशोधनों के साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ तक किसी भी अधिनियम का विस्तार कर सकती है जो अधिसूचना की तारीख से किसी राज्य में लागू है।

एच.

777

स्वतंत्र विद्यालयों का समाज

चंडीगढ़ (आर. ई. जी. डी.) और ओ. आर. एस. बनामभारत और ओआरएस का संघ।

ए.

1966 अधिनियम की धारा 87 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई विवादित अधिसूचना के माध्यम से विस्तारित किया गया है?

12. खंड (क) में निर्दिष्ट शर्त पर लौटते हुए, हमें इस बात में कोई संदेह नहीं है कि इसे परिधीय और असंगत परिवर्तन नहीं माना जा सकता है।क्योंकि, यह एक मौलिक मामला है। हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रधान अधिनियम (2016 अधिनियम), जिसे विवादित सरकारी आदेश/अधिसूचना के संदर्भ में विस्तारित किया गया है, गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों की वेबसाइट पर आय, व्यय, खाते और बैलेंस शीट के प्रकटीकरण के संबंध में कोई प्रावधान नहीं करता है, जिसमें पंजाब राज्य में लागू होने वाली जानकारी भी शामिल है।यह एक अलग मामला होगा यदि संसद या राज्य विधानमंडल, जैसा भी मामला हो, 2016 अधिनियम जैसे अधिनियम में ऐसी शर्त को शामिल करता है। यदि इसे इस तरह से शामिल किया जाता है, तो गैर-सहायता प्राप्त संस्थानों के लिए ऐसे प्रावधान की वैधता पर सवाल उठाने के लिए यह खुला होगा, जिसका परीक्षण संवैधानिक न्यायालय द्वारा निष्पक्षता, मनमानेपन और भारत के संविधान के भाग III के तहत उपलब्ध अन्य आधारों के आधार पर किया जा सकता है।

13. यह देखने के लिए पर्याप्त है कि अनुच्छेद 6 के माध्यम से जोड़े गए तीसरे परंतुक में खंड (ए) के संदर्भ में विवादित सरकारी आदेश/अधिसूचना के माध्यम से शुरू किया गया परिवर्तन एक परिधीय या असंगत परिवर्तन नहीं है।इसलिए, यह स्पष्ट रूप से 1966 के अधिनियम की धारा 87 के संदर्भ में सक्षम प्राधिकारी को दिए गए प्राधिकरण के दायरे से बाहर है। इसलिए उस शर्त को निरस्त करने की आवश्यकता है

अल्ट्रा वायर्स।

14. खंड (ख) की ओर लौटते हुए हम पाते हैं कि खंड (ख) की चुनौती कमजोर है।इसमें, यह शर्त केवल गैर-सहायता प्राप्त संस्थानों को माता-पिता से किसी भी प्रकार की लागत लेने से रोकती है।हमारी राय में, यह 2016 के अधिनियम के विधायी इरादे और जनादेश के अनुरूप है। वास्तव में, यह 2016 के अधिनियम की अंतर्निहित नीति, सार और सार को दोहराता है। इस प्रकार, यह किसी भी तरह से एक महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं है जैसा कि ऊपर निर्दिष्ट खंड (ए) के मामले में है।यह ध्यान दिया जाए कि विवादित सरकारी आदेश/अधिसूचना के पैराग्राफ 6 के खंड (सी) के अनुसार-जिसकी वैधता को चुनौती नहीं दी गई है-गैर-सहायता प्राप्त संस्थान शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत में पूर्ण शुल्क संरचना का खुलासा करने के लिए बाध्य हैं।उसी पैराग्राफ के खंड (बी) के संदर्भ में गैर-सहायता प्राप्त संस्थानों का दायित्व खंड (सी) के अनुसार शुल्क संरचना के प्रकटीकरण के संदर्भ में है।दूसरे शब्दों में, गैर-सहायता प्राप्त संस्थान

अपने छात्रों से केवल घोषित शुल्क संरचना राशि ही ले सकते हैं और आगे नहीं।इसलिए यह प्रावधान बेहतर प्रशासन के लिए उपयुक्त और आवश्यक है।

जी.

एच.

778

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 4 एस सी आर।

ए.

जिन गैर-सहायता प्राप्त संस्थानों को 2016 अधिनियम विवादित सरकारी आदेश/अधिसूचना के संदर्भ में विस्तारित किया जाता है।

15. तदनुसार, पैराग्राफ 6 के माध्यम से सरकारी आदेश/अधिसूचना के आधार पर जोड़े गए तीसरे परंतुक के खंड (बी) को चुनौती नहीं दी जा सकती है और इसे खारिज कर दिया जाता है।

16. यह हमें विवादित सरकारी आदेश/अधिसूचना के पैराग्राफ 8 की चुनौती की ओर ले जाता है, जिसके तहत केंद्र शासित प्रदेश के भीतर 2016 के अधिनियम द्वारा शासित गैर-सहायता प्राप्त संस्थानों के संबंध में विवादित सरकारी आदेश/अधिसूचना के संदर्भ में जुर्माना राशि बढ़ाई जाती है।पुनः, यह धारा 14 का परिधीय या असंगत परिवर्तन या संशोधन नहीं है।जैसे कि, जुर्माने की राशि या सजा की मात्रा क्या होनी चाहिए, यह एक विधायी नीति है। इसे संबंधित विधायिका पर छोड़ दिया जाना चाहिए।यह एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से प्रदान नहीं किया जा सकता है, जिसमें 1966 के अधिनियम की धारा 87 के तहत शक्तियों का प्रयोग शामिल है-2016 के अधिनियम की धारा 14 में वर्णित शासन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है।

17. तदनुसार, विवादित सरकारी आदेश/अधिसूचना का अनुच्छेद 8 भी न्यायिक जांच की कसौटी पर खरा नहीं उतर सकता है।इसलिए, इसे असंवैधानिक और अधिकार के बाहर होने के कारण रद्द करने की आवश्यकता है।18. 2016 के अधिनियम के प्रावधानों की वैधता सहित हमारे सामने कोई अन्य मुद्दा नहीं उठाया गया है। स्वीकार करते हुए, पहले के अवसर

पर पारित आदेश में यह पहले ही दर्ज किया जा चुका है कि अपीलार्थीगण अपने तर्क को इस आदेश में माने गए सीमित पहलुओं तक ही सीमित रखेंगे।

19. हम यह स्पष्ट करते हैं कि हमने 2016 के अधिनियम के प्रावधानों को चुनौती देने से संबंधित लंबित कार्यवाही में उच्च न्यायालय द्वारा निपटाए जाने वाले मुद्दों पर किसी भी तरह से कोई राय व्यक्त नहीं की है।

20. अंत में, हम रिट याचिकाकर्ता के खिलाफ रिट याचिका No.7761/2020 (उच्च न्यायालय के समक्ष दायर) में विवादित फैसले के पैराग्राफ 34 में की गई टिप्पणियों को हटा देते हैं।

जी.

21. तदनुसार, उपरोक्त शर्तों में अपीलों की आंशिक रूप से अनुमति है।22. लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।

23. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाएगा।

दिव्या पांडे

अपीलों को आंशिक रूप से अनुमति दी गई।

(सहायकः दीपक पंवार, एलसीआरए)

एच.